न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 12/315

1. दिनेश आत्मज रामकल्याण जाति मीणा निवासी जोरावरपुरा तहसील पीपल्दा जिला कोटा
2. प्रभाती बाई बेवा रामकल्याण जाति मीणा निवासी जोरावरपुरा तहसील पीपल्दा जिला कोटा ।
3. रामावतार आत्मज चतुर्भुज जाति मीणा निवासी जोरावरपुरा तहसील पीपल्दा जिला कोटा।

———अपीलान्ट

बनाम

1. प्रेमचन्द आत्मज गजानन्द जाति मीणा ।
2. लड्डू आत्मज गोपाल जाति मीणा निवासीगण इटावा तहसील पीपल्दा जिला कोटा
3. मांगी लाल पुत्र मोती लाल मृतक जरिये कायममुकामान :–
   3/1. गुलाब चन्द पुत्र मांगीलाल
   3/2. धनपाल पुत्र मांगीलाल
   3/3. मुरलीधर पुत्र मांगी लाल (मृतक) जरिये कायममुकामान :–
   3/3/1. महेश कुमार पुत्र मुरलीधर
   3/3/2. हरिओम पुत्र मुरलीधर
   3/3/3. शिमला पुत्री मुरलीधर
   3/3/4. रामलीला पुत्री मुरलीधर
   3/3/5. बिरधी बाई पत्नी मुरलीधर जाति मीणा निवासीगण जोरावरपुरा तहसील पीपल्दा ।
4. चतुर्भुज पुत्र मोती लाल (मृतक) जरिये कायममुकामान :–
   4/1. रामरतन पुत्र चतुर्भुज
   4/2. किशकिन्दा पुत्री चतुर्भुज जाति मीणा निवासीगण जोरावरपुरा तहसील पीपल्दा
5. कृष्णा पुत्री रामकल्याण
6. रामप्यारी पुत्री लक्ष्मीनारायण
7. जगन्नाथ पुत्र गोपाल (मृतक) जरिये कायममुकामान :–
   7/1. छगनी पत्नी जगन्नाथ
   7/2. हेमराज पुत्र जगन्नाथ
   7/3. जोधराज पुत्र जगन्नाथ
   7/4. भरोसी पुत्री जगन्नाथ
   7/5 मनभर पुत्री जगन्नाथ
   7/6. तुलसी पुत्री जगन्नाथ
   7/7. राजा पुत्री जगन्नाथ
   7/8. भूली पुत्री जगन्नाथ जाति मीणा निवासीगण जोरावरपुरा तहसील पीपल्दा
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पीपल्दा जिला कोटा ।

———रेस्पोडन्ट

अपील संख्या : 12/266

प्रेमचन्द पुत्र गजानन्द मीणा जाति मीणा निवासी इटावा तहसील पीपल्दा जिला कोटा ।
----अपीलान्ट

बनाम

1. मांगी लाल पुत्र मोती लाल मृतक जरिये कायममुकामान :–
   1/1. गुलाब चन्द पुत्र मांगीलाल
   1/2. धनपाल पुत्र मांगीलाल
   1/3. मुरलीधर पुत्र मांगी लाल (मृतक) जरिये कायममुकामान :–
   1/3/1. महेश कुमार पुत्र मुरलीधर
   1/3/2. हरिओम पुत्र मुरलीधर
   1/3/3. शिमला पुत्री मुरलीधर
   1/3/4. रामलीला पुत्री मुरलीधर
   1/3/5. बिरधी बाई पत्नी मुरलीधर जाति मीणा निवासीगण जोरावरपुरा तहसील पीपल्दा ।
2. चतुर्भुज पुत्र मोती लाल (मृतक) जरिये कायममुकामान :–
   2/1. रामरतन पुत्र चतुर्भुज
   2/2. किशकिन्दा पुत्री चतुर्भुज जाति मीणा निवासीगण जोरावरपुरा तहसील पीपल्दा
   2/3. पार्वती बेवा चतुर्भुज मीणा (नाम तर्क)
3. प्रभाती बाई बेवा रामकल्याण जाति मीणा निवासी जोरावरपुरा तहसील पीपल्दा जिला कोटा ।
4. दिनेश आत्मज रामकल्याण जाति मीणा निवासी जोरावरपुरा तहसील पीपल्दा जिला कोटा
5. कृष्णा पुत्री रामकल्याण नाबालिग जरिये वली माता प्रभाती ।
6. रामप्यारी पुत्री लक्ष्मीनारायण निवासी जोरावरपुरा जिला कोटा ।
7. जगन्नाथ पुत्र गोपाल जाति मीणा निवासी इटावा (मृतक) जरिये कायममुकामान :–
   7/1. छगनी पत्नी जगन्नाथ
   7/2. हेमराज पुत्र जगन्नाथ
   7/3. जोधराज पुत्र जगन्नाथ
   7/4. भरोसी पुत्री जगन्नाथ
   7/5 मनभर पुत्री जगन्नाथ
   7/6. तुलसी पुत्री जगन्नाथ
   7/7. राजा पुत्री जगन्नाथ
   7/8. भूली पुत्री जगन्नाथ जाति मीणा निवासीगण जोरावरपुरा तहसील पीपल्दा
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पीपल्दा जिला कोटा ।
9. लड्डू आत्मज गोपाल जाति मीणा निवासीगण इटावा तहसील पीपल्दा जिला कोटा

----रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री रामस्वरूप ऋृषि, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से अपील संख्या 12/315 में ।
2. श्री रमाकान्त लोहिया, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से अपील संख्या 12/315 में अपील संख्या 12/266 में अपीलान्ट की ओर से ।
3. श्री प्रवीण पनवाड, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से अपील संख्या 12/266 में ।

निर्णय

दिनांकः 22.11.2017

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त दोनों अपीलें अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, इटावा जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 23.03.2012 के विरूद्ध पेश की गई है ।

2. उक्त दोनों अपीलें एक ही अपीलाधीन निर्णय एंव डिक्री के विरूद्ध होने तथा समान पक्षकार होने तथा उक्त दोनों अपीलें एक ही वादग्रस्त आराजी के सम्बन्धित होने से उक्त दोनों अपीलों का निर्णय इस एकल निर्णय से किया जा रहा है । निर्णय की प्रति अलग–अलग संलग्न की जावे।

3. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी प्रेमचन्द, गौरां बाई एवं लड्डू ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 53 एवं 88 के अन्तग्रत ग्राम इटावा तहसील पीपल्दा जिला कोटा की कुल 07 किता की 11.61 हैक्टर भूमि तथा ग्राम जोरावरपुरा की कुल 03 किता की 105 बीघा भूमि के सम्बन्ध में वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी में वादीगण क्रम 1 व 2 को 1/5 हिस्सा दर्ज किया जावे एवं वादी क्रम 3 के हिस्से में 1/10 हिस्सा भूमि का विभाजन कर पक्षकारान के मध्य विभाजन की डिक्री पारित की जावे ।

4. प्रतिवादीगण क्रम 3, 4 व 5 ने जवाबदावा मय काउन्टर क्लेम प्रस्तुत कर वादपत्र में कहे गये कथनों को अस्वीकार करते हुए वादी का वाद पत्र खारिज करने का निवेदन किया तथा काउन्टर क्लेम स्वीकार करने का निवेदन किया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 23.03.2012 के द्वारा वादीगण का वाद आंशिक रूप से स्वीकार कर प्रतिवादीगण का काउन्टर क्लेम अस्वीकार करते हुए पक्षकारान के मध्य विभाजन की प्राथमिक डिक्री पारित करने का आदेश पारित किया ।

6. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 23.03.2012 से व्यथित होकर अपीलान्टगण द्वारा दोनों अलग–अलग अपीलें प्रस्तुत कर अपील अपीलान्ट स्वीकार करने एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री निरस्त करने का निवेदन किया ।

7. अपीलान्ट ने अपील मीमो के साथ भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 05 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलान्ट ने अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री नकल प्राप्त कर ली थी परन्तु उसी समय उसके मलेरिया हो गया जिससे वह उक्त अपील समय पर प्रस्तुत नहीं कर सका था । अतः अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।

8. दोनों अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुन गई ।

9. अपील संख्या 12/266 में अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने तनकी नं0 02 का निर्णय अपीलान्ट के पक्ष में नहीं करने में कानूनी त्रुटि की है । उन्हें वाहमी बंटवारा को आधार बनाकर ग्राम जोरावरपुरा की आराजी पुराना 105 बीघा 16 बिस्वा में मांगीलाल, चतुर्भुज, लक्ष्मीनारायण पुत्र मोती लाल का 1/3 –1/3 हिस्सा मानकर प्रत्येक के हिस्से में ग्राम जोरावरपुा की आराजी में से दर्ज करने का निर्णय देना चाहिए था । इसी प्रकार ग्राम इटावा की भूमि में अपीलान्ट एवं गोपाल के वारिसान का आधा–आधा हिस्सा मानकर इन्द्राज करने का आदेश पारित करना चाहिए था । प्रस्तुत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय ने वादग्रस्त आराजी में कब्जे के सम्बन्ध में एक रिपोर्ट मंगवाई थी जिसमें स्पष्ट उल्लेखित है कि ग्राम जोरावरपुरा की आराजी पर मांगीलाल, चतुर्भुज व लक्ष्मीनाराया के वारिसान का कब्जा है एवं ग्राम इटावा की भूमि पर गजानन्द के वारिस अपीलान्ट एवं गोपाल के वारिस जगन्नाथ व लड्डू का कब्जा है । ग्राम इटावा की कम की गई भूमि रकबा 0.82 हैक्टर एवं ग्राम जोरावरपुरा की भूमि कमी रकबा के सम्बन्ध में तहसीलदार, पीपल्दा से एक पैमाईश रिपोर्ट मंगवाई थी जिसमें उन्होंने कम किया गया रकबा सिवायचक रकबा खसरा नम्बर 2522 में कम करके पूरा किया जा सकता है । इसी प्रकार ग्राम जोरावरपुरा की कम की गई भूमि आराजी खसरा नम्बर 417 रकबा 2.96 हैक्टर में से कम करके पूरा किया जा सकता है परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त रिपोर्ट पर विश्वास नहीं कर उक्त निर्णय भी पारित कर दिया जो त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री निरस्त फरमाई जावे ।

10. अपील संख्या 12/315 में अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि वादग्रस्त आराजी के खातेदार मीणा जाति के सदस्य है जो अनुसूचित जनजाति के आते हैं जिन पर पुरानी हिन्दू विधि लागू होती है जिनमें पुरूष के जीवित रहते विवाहित पुत्रियों का भूमियों में कोई अधिकार नहीं रहता है । वादग्रस्त आराजी रेस्पोडेन्ट कम 1 के पिता गजानन्द जी के कब्जे काश तव हिस्से वाली 1/5 हिस्से की भूमि में नहर निकल गई थी जिसमें 02 बीघा 11 बिस्वा भूमि नगर में अवाप्त की गई जिसका सम्पूर्ण मुआवजा गजानन्द जी ने प्राप्त किया था । इस प्रकारण रेस्पोडेन्ट कम 1 के 1/5 हिस्से की भूमि में से 02 बीघा 11 बिस्वा भूमि कम करना चाहिए था । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय एवं डिक्री पारित की गई है वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 23.03.2012 निरस्त फरमाई जावे ।

11. रेस्पोडेन्ट ने अपील खारिज करने का निवेदन किया ।

12. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । सर्वप्रथम अपने अपीलान्ट्स द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का अवलोकन किया । अपीलान्ट द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में विलम्ब के जो कारण दर्शित किये हैं वह उचित प्रतीत होते हैं । अतः अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का स्वीकार किया जाकर अपीलान्ट द्वारा अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जाता है ।

13. प्रस्तुत प्रकरण में वादीगण ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 53 एवं 88 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत किया था । प्रस्तुत प्रकरण में तहसीलदार से मौका रिपोर्ट आदि भी प्राप्त की गई थी परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने उनका अवलोकन किया बिना ही निर्णय एंव प्राथमिक डिक्री पारित कर दी । प्रस्तुत प्रकरण में केचमेंट के बाद शेष भूमि जिसमें से नहर में अवाप्त की गई भूमि को कम करते हुए निर्णय पारित किया जाना चाहिए था । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया गया है वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । हम प्रस्तुत प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायाहित में उचित समझते हैं।

14. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर दोनों अपील संख्या 12/315 एवं अपील संख्या 12/266 दोनों अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 23.03.2012 निरस्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वह वादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध में तहसीलदार से प्राप्त मौका रिपोर्ट आदि का दृष्टिगत रखते हुए यदि वादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध में मौका रिपोर्ट की आवश्यकता हो तो वह नये सिरे से प्राप्त कर पक्षकारान को सुनवाई एवं साक्ष्य आदि प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान करते हुए विधि सम्मत निर्णय पारित करें । पक्षकारान दिनांक 27.12.2017 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

15. निर्णय आज दिनांक 22.11.2017 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(पंकज कुमार ओझा)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा